



भारत सरकार / Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र / Indira Gandhi Centre for Atomic Research

प्रशासन(सतर्कता)अनुभाग / Administration(Vigilance)Section

कल्पाक्कम/Kalpakkam – 603 102

Ref: IGCAR/2(14)/2023 -24/Admn(Vig) - 122

May 11, 2023

Mr. Sahil Ganvir,  
Old Kampti Road, Kalmana, Near Shanidev Temple,  
Nagpur – 440 026, Maharashtra

Sir,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत चाही गई सूचना संबंधी ।

Sub: Information sought under RTI Act – 2005

Please refer to your RTI application no. IGCAR/R/E/23/00029 dated 24.04.2023 received in this Centre on 24.04.2023 under the RTI Act. The information sought by you is furnished as under pertaining to IGCAR, Kalpakkam:-

सं .क्र .	मांगी गयी सूचना	उपलब्ध कराई गयी सूचना
01	आपके विज्ञापन संख्या IGCAR 02/2021 के संदर्भ में, आवेदक (आवेदन संख्या 35103639) संबंधी यात्रा भत्ता वर्तमान स्थिति क्या है?	पात्रता के अनुसार, श्री सहिल गनवीर (आवेदन पत्र संख्या 35103639) का टीए आवेदन पत्र दिनांक 27/04/2023 को लेखा अनुभाग, इंगांपअर्के को प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु अग्रेषित किया गया है।
02	विज्ञापन संख्या IGCAR02/2021के अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्राप्त आवेदनकर्ताओं की सूची (यादी) दीजिए और अभी तक अनुसूचित जाति के कितने आवेदनकर्ता को यात्रा भत्ता अदा किए गये? और उनको अदा किए गए का कार्यालय आदेश की प्रति उनकी सूची (यादी) और खाता विवरण दीजिए।	वांछित जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत छूट प्राप्त है।
03	आवेदक (आवेदन संख्या 35103639) के संबंध में यात्रा भत्ता के भुगतान की वर्तमान स्थिति लंबित है तो उसका यात्रा भत्ता कितने समय सीमा तक अदा किया जायेगा।	पात्रता के अनुसार, श्री सहिल गनवीर (आवेदन पत्र संख्या 35103639) का टीए आवेदन पत्र दिनांक 27/04/2023 को लेखा अनुभाग, इंगांपअर्के को प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु अग्रेषित किया गया है।
04	यदि आवेदक (आवेदन संख्या 35103639) का यात्रा	वांछित जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 की

भत्ता अस्वीकृत/लंबित किया गया है, तो उसका उचित कारण दीजिए और उस उचित कारण की अस्वीकार किए गए की ओदश प्रति/प्राधिकृत अधिकारी टिप्पण टिप्पणी प्रति की ज़ेरॉक्स कॉपी दीजिए और अनुसूचित जाति के आवेदन यात्रा भत्ता के लिए अस्वीकार किए गए है उसकी सूची (यादी) व कार्यालय आदेश प्रति के साथ प्राधिकृत अधिकारी टिप्पणी की हुई सूची (यादी)/पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति दीजिए।

धारा 8(1)(j) के तहत छूट प्राप्त है।

02. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 19 के अनुसार अपील करना चाहते हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी, इंगांपअके को अपील कर सकते हैं। अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है :

An appeal as per section – 19 of the RTI Act, 2005, if any, can be preferred to the Appellate Authority, IGCAR, within 30 days of the receipt of this letter. The details of Appellate Authority are given below:

श्री के.आ.रसेतुरामन . / Shri K.R. Sethuraman

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी / Chief Administrative Officer and Appellate Authority

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र/Indira Gandhi Centre for Atomic Research,

कल्पक्कम/Kalpakkam – 603 102

दूरभाष नं. / Tel.No. 044-27480359

ईमेल/Email: [cao@igcar.gov.in](mailto:cao@igcar.gov.in)

भवदीय / Yours faithfully,

पी.टी.मणि

(पी.टी. मणि / P.T.Mani)

प्रशासन अधिकारी /Administrative Officer-III

Tele. No.: 044-2748 0364

E.Mail: [ao1@igcar.gov.in](mailto:ao1@igcar.gov.in)